

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-13/12/18

विषय: शीतलहर/पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर शीतलहर/पाला से बचाव के उपाय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य में सामान्यतः माह दिसम्बर से जनवरी के बीच ठंड की व्यापकता और तीक्ष्णता कभी-कभी प्रचण्ड एवं भयावह शीतलहर का रूप ले लेती है। इस वर्ष भी नवम्बर माह के अंतिम सप्ताह से ठंड प्रारंभ हो गई है। संभावना है कि शीतलहर भी शीघ्र ही शुरू हो जाय। अवगत है कि प्रायः शहरी/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बसे गरीब, निःसहाय एवं आवासहीन (Homeless) व्यक्ति विशेष रूप से शीतलहर से प्रभावित होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह शीतलहर से प्रभावित होने वाले जनसामान्य, विशेषकर गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों, के बचाव हेतु समुचित प्रबंध करे।

2. अवगत है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-32-3/2010-NDM-1 दिनांक-13.08.2012 द्वारा भारत सरकार ने शीतलहर (Cold Wave) /पाला (Frost) को राज्य आपदा रिस्पांस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य की देयता के लिए प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया है, जिसका संसूचन विभाग द्वारा पत्रांक-4285/आ0प्र0, दिनांक-18.10.2012 द्वारा किया गया है (प्रति संलग्न)। विभागीय परिपत्र सं0 1973/आ0प्र0 दिनांक- 26.05.2015 द्वारा राज्य में साहाय्य मानदर को लागू किया गया है। साहाय्य मानदर को आपदा प्रबंधन विभाग के Website पर भी Upload किया गया है।

3. गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों की शीत लहर से रक्षा के लिए निम्नांकित निदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाय :-

3.1 रैन बसेरों /अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्था:- (क) शहरी क्षेत्रों में रिकशा चालकों, दैनिक मजदूरों, असहायों, आवास विहिनों एवं सदृश्य श्रेणी के ऐसे गरीब निःसहाय व्यक्तियों के रहने हेतु रैन बसेरों (Night Shelters) की समुचित व्यवस्था की जाय। जहाँ रैन बसेरे उपलब्ध न हों तो वहाँ जिले में उपलब्ध पॉलिथिन शीट्स, टेंट, तारपोलीन शीट्स का उपयोग कर आवश्यकतानुसार

अस्थायी शरण स्थली बनायी जाय। रैन बसेरों (Night Shelters) एवं अस्थाई शरण स्थलों में पर्याप्त संख्या में कम्बल रखे जायें।

कम्बल किसी को आवंटित नहीं किया जाय, अपितु रैन बसेरों में शरण लेते समय कम्बल का उपयोग शरणार्थी द्वारा किया जायगा। शरण स्थली से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय ताकि जन सामान्य को इसकी पूर्ण जानकारी रहे तथा वे सरकार द्वारा एतद् संबंधी की गई व्यवस्था का पूरा लाभ उठा सकें तथा इस व्यवस्था की मॉनेटरिंग/ निगरानी की जाय। रैन बसेरों की व्यवस्था एवं रख-रखाव स्थानीय नगर निकायों के माध्यम से होगी।

3.2 कम्बल वितरण:— आवासहीन (Homeless) गरीबों, रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, निःसहाय व्यक्तियों एवं ऐसे सदृश्य श्रेणी के लोगों के बीच आवश्यकतानुसार कम्बल का वितरण किया जाय। कम्बल की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी।

3.3 अलाव की व्यवस्था:— (क) जिला विशेष में ज्यों ही शीतलहर प्रारंभ हो, जिला पदाधिकारी द्वारा अपने विवेक से गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों को शीतलहर के प्रकोप से बचाने हेतु आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था जिला मुख्यालय से लेकर प्रखण्ड स्तर तक सभी शहरी एवं अर्द्धशहरी स्थानों में की जायेगी। अलाव की व्यवस्था करते समय जिला पदाधिकारी के द्वारा यह ध्यान रखा जाय कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाया जाय जहाँ अधिक से अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हैं या एकत्र होते हों यथा धर्मशालाएं, अस्पताल परिसर, रैन बसेरा, मुसाफिरखाना, रिक्शा एवं टमटम पड़ाव, चौराहा, रेल/बस स्टेशन आदि। साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाय जहाँ अधिक से अधिक प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके। अलाव के लिए चिन्हित स्थानों की सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार मिडिया के माध्यम से कराया जाय।

(ख) जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी यथा अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) को जिला पदाधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अलाव व्यवस्था का प्रभारी नामित किया जाय। इनका दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस राहत का लाभ वास्तव में गरीबों एवं निःसहायों को मिले एवं किसी भी परिस्थिति में इसका दुरुपयोग न हों, साथ ही मितव्ययिता बरती जाय।

अलाव की व्यवस्था हेतु सभी जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राशि आवंटित की जाएगी।

4 निरीक्षण एवं अनुश्रवण:— जिला पदाधिकारी रैन बसेरों, अन्य शरण स्थलों (यदि कोई हों) एवं अलाव जलाने वाले स्थलों का समय-समय पर निरीक्षण एवं सघन अनुश्रवण करेंगे। ऐसी आशा की जाती है कि जिला पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी समय-समय पर घूम-घूम कर अलावों के जलने का निरीक्षण करेंगे। शीतलहर

पदाधिकारी समय-समय पर घूम-घूम कर अलावों के जलने का निरीक्षण करेंगे। शीतलहर से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होते ही राज्य नियंत्रण कक्ष के फ़ैक्स संख्या 0612-2215734 एवं प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के ईमेल- secy-disastermgmt-bih@nic.in पर प्रतिदिन संध्या 4.00 बजे तक अवश्य भेजना सुनिश्चित करेंगे। दैनिक प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक-I पर संलग्न है।

5 मीडिया के साथ समन्वय:-

(क) जिला पदाधिकारी इस संबंध में अपने जिले में किए गए प्रबंधों की विस्तृत जानकारी स्थानीय मीडिया को देते रहेंगे। शीत लहर से बचाव के लिए किये जाने वाले उपाय से प्रचार माध्यमों से जनता को भी अवगत कराया जाय। शीतलहर से स्वयं के बचाव हेतु क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग, पम्पलेटों, समाचार-पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हॉर्डिंग एवं बैनर लगाकर एवं अन्य समाचार माध्यमों से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था करेगा।

(ख) यह भी देखा गया है कि समाचार पत्रों में यदा-कदा शीतलहर से मृत्यु की सूचना प्रकाशित होती है। ऐसी सूचना के तथ्यों की जाँच कर जानकारी तुरंत ली जाय और यदि तथ्य निराधार पाये जाय तो उनका खंडन समाचार-पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराया जाय। परंतु यदि सूचना सही हो तो इस पत्र की कंडिका -2 के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

कृपया उपरोक्त निदेशों का पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाय।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4.335/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-13/12/18

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी यथोचित निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही जिलों के भ्रमण के समय रैन बसेरों, शरण स्थलों एवं अलाव जलाने वाले स्थलों का निरीक्षण एवं सघन अनुश्रवण करने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4.335/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-13/12/18

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि शीतलहर के प्रकोप से गरीब वर्गों की सुरक्षा हेतु आवश्यक मात्रा में कम्बल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4335/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 13/12/18

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि नगरीय क्षेत्रों में शीतलहर से बचाव हेतु कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेश देने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4335/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 13/12/18

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि शीतलहर से बचाव हेतु नागरिकों द्वारा किए जाने वाले एहतियाती उपायों का प्रचार-प्रसार समाचार माध्यमों से करने एवं प्रभावित व्यक्तियों के इलाज की सरकारी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4335/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 13/12/18

प्रतिलिपि: निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पटना हवाई अड्डा परिसर, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि दैनिक न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान प्रतिदिन अपराह्न 4.00 बजे विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को टेलिफैक्स नं० 0612-2215734 / 2217786 ईमेल-secy-disastermgmt-bih@nic.in पर भेजने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4335/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 13/12/18

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4335/आ0प्र0

पटना-15 दिनांक- 13/12/18

प्रतिलिपि: माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4335/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 13/12/18

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

प्रधान सचिव